

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर, (आर.ए.एस.)

प्रसं० – 48/2017

उनवान

- 1 मदनलाल पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 2 सीताराम पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
- 3 गोविन्दराम पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

(प्रार्थी)

बनाम

1. केलाशचन्द्र पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. गेवरचन्द्र पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. धर्मचन्द्र पिता सेवाराम ब्राहमण निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. दुदा पिता रूगनाथ गुर्जर निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. भंवरलाल पिता श्री किशन शर्मा निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. नानु राम पिता सोनु गुर्जर निवासी निम्बाहेडाकंला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 बैंक शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति लाम्बियाकंला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा रायला तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 20.04.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम निम्बाहेडाकंला पटवार मण्डल निम्बाहेडाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 199 के आ0न0 221, 457, 887/219 कुल किता 3 कुल रकबा 03-13 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी कम 1, 2, 5 की लौटकर प्राप्त तामील रिपोर्ट पर संबंधित विपक्षीगण द्वारा लेने से मना किया जाना अंकित होना पाया है, जिसको विधिवत तामील माना जाकर अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। शेष विपक्षीगण नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से एकतरफा आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ज्ञांतल पटवार मण्डल बल्दरखा भू0अ0नि0 उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 157 के आ0न0 480 कुल किता 1 कुल रकबा 06-07 बीघा एवं खाता संख्या 158 के आ0न0 480/1 कुल किता 1 कुल रकबा 06-00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक उपरेड़ा को 1300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
दिनांक: 20.04.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/47/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)